न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-234RAAJodhpur2023-103RTA225 Shrawanram ors Vs Gordhanram etc

1. श्रवणराम पुत्र हराराम
2. कमला पत्नी हराराम
3. नाथराम पुत्र हराराम
4. संगीता पुत्री हराराम
5. केली पुत्री तुलसाराम
6. गवरी पुत्री तुलसाराम
7. रमली पुत्री तुलसाराम
8. तिलाराम पुत्र तुलसाराम
9. मांगीलाल पुत्र हीराराम
10. गिरधारीराम पुत्र तुलसाराम
11. रामदीन पुत्र हीराराम
12. समु पुत्री हीराराम
13. स्व. जुगाराम पुत्र लाबुराम के कायम मुकामः -
    - 13.1. मोहनराम पुत्र स्व. जुगाराम
    - 13.2. भंवराई पत्नी स्व. जुगाराम
14. राजूराम पुत्र लाबुराम
15. बाबुड़ी पत्नी गोपाराम
16. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोपाराम
17. किशनाराम पुत्र रूपाराम
18. मांगीलाल पुत्र रूपाराम
19. हनुमानराम पुत्र जेठाराम
20. फैना पुत्री जेठाराम
21. मुन्नीदेवी पुत्री जेठाराम
22. रता पुत्री जेठाराम

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम ठिंगला नगर, रावनियाना, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. गोरधनराम पुत्र सीमाराम
2. स्व. नैनाराम पुत्र बीजाराम के विधिक वारिसान्
   - 2.1. चैनाराम पुत्र स्व. नैनाराम

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2.2. सुखाराम पुत्र स्व. नैनाराम
2.3. पेमली पुत्री स्व. नैनाराम
2.4. जडियाव पुत्री स्व. नैनाराम
3. परसराम पुत्र गोपाराम,
4. सुमेरराम पुत्र शिवराम,
सभी जातियान जाट, निवासीगण- ग्राम ठिंगला नगर, रावनियाना, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
5. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे बैंक (वर्तमान एस.बी.आई.) शाखा पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
7. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 01 जून 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171/2021 गोरधनराम बनाम कमला इत्यादि

उपस्थित-
श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 25 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171/2021 गोरधनराम बनाम कमला इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 जून 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 जून 2023 को प्रस्तुत की है।

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1108/1 रकबा 0.6877 हैक्टेयर ग्राम ठिगला नगर, पटवार क्षेत्र रावनियाना तहसील पीपाड़ शहर में आने-जाने हेतु अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं. 1110 व 1112 में से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए.बी.सी.डी. 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2023 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु पहले से ही तीन वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या एक को पारिवारिक बंटवाड़े से हो रही है। प्रार्थी रेस्पो. उन्ही तीन रास्ते का उपयोग लेता आ रहा है। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक का अपीलाधीन दर्शाये गये रास्ते से कभी भी आवागमन नहीं रहा है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा केवल अपीलांट्स को तंग एवं परेशान करने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपने खेत खसरा नं. 1108/1 में आवागमन हेतु उनके पारिवारिक खेत खसरा नं. 1114, 1114/1, 1115 में से होते हुए रास्ता उपलब्ध है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका जांच रिपोर्ट से होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 1114 स्वयं प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक स्वयं का खातेदारी सुदा खेत है। रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 1105, 1106 व 1108 में से भी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की जांच किये बिना केवल निकटता के आधार पर अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 01 जून 2023 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन नं. 123386/2015 अनवान बागसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2015 की न्यायिक नजीर पेश की।

जबाब में अधिवक्तागण रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबूतों के आधार पर मौके की स्थिति के अनुसार निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा बताये गये रास्ते के विकल्प अत्यधिक लंबे है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.08.2022 में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प मार्क वांछित रास्ता मार्क ए.बी.सी.

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डी.ई.एफ.जी.एच.आई.जे.के. जो खसरा नं. 1112 व नाडी में से होकर खसरा नं. 1109 व 1110 में से होते हुए रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं. 1108/1 तक जाता है। द्वितीय विकल्प जो वैकल्पिक रास्ता मार्क क,ख,ग,घ,ड़,च,छ,ज, बताया गया है। उक्त रास्ता प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक के स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 1114 से शुरू होकर खसरा नं. 1114/1, 1115, 1109 में सें होते हुए रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं. 1108/1 में जाता है। द्वितीय विकल्प जो वैकल्पिक रास्ते को निर्विवाद एवं जन उपयोगी तथा अधिक खातेदारान् के खेतों तक पहुंच वाला बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ते की उपयोगिता एवं अधिक लोगो तक पहंच को नजरअंदाज करते हुए केवल निकटता को ही ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध हो तो निकटता के आधार पर नवीन रास्ते का आदेश नहीं दिया जा सकता है। मौका फर्द अनुसार रेस्पोडेंट संख्या एक के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रकरण पर लागू होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु उनके पारिवारिक खेतों में रास्ते के अन्य विकल्प बताये है, जिन्हे मौका जांच रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है, जिससे यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में मौके पर उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार किया जाना नहीं पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मौके पर उपलब्ध सभी रास्तो के विकल्पों एवं रास्ते की सुलभगता पर विचार किये बिना पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 171/2021 गोरधनराम बनाम कमला इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 01 जून 2023 को निरस्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वैकल्पिक रास्ते की सुलभता की जांच करते हुए तथा उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका फर्द तलब कर, उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09 फरवरी 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर